

अनुदान संख्या 79 - भू-संसाधन विभाग
GRANT No. 79-DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	1421,70,00	1411,45,78	-10,24,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			9,01,63

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, बचते/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '2501'' ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development			
मू.	O. 114190.00	123164.42	123162.23	-2.19
पु.	R. 8974.42			
मुख्य शीर्ष '2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O. 13400.00
पु.	R. -13400.00			
मुख्य शीर्ष '3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 13810.00	17544.95	17544.52	-0.43
पु.	R. 3734.95			

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head		
मुख्य शीर्ष '3602'	Major Head "3602"		
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments		
मू.	O.	200.00	
पु.	R.	-200.00	
(I) 13960.00 लाख रु. का प्रावधान तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 13600.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-	(I) Provision of Rs.13960.00 lakhs remained wholly unutilised under thirteen heads; of these Rs.13600.00 lakhs accounted for under the following major heads:-		
(का) मुख्य शीर्ष '2552' -	(A) Major Head "2552" -		
(क) "बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास" -	(a) "Waste Land Development - National Waste Land Development" -		
(i) "एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम" -11200.00 लाख रु.;	(i) "Integrated Wastelands Development Programme" - Rs.11200.00 lakhs;		
(ii) "प्रौद्योगिकी विकास विस्तार और प्रशिक्षण" -200.00 लाख रु.;	(ii) "Technology Development Extension and Training" - Rs.200.00 lakhs;		
(ख) "बंजर भूमि विकास - अन्य व्यय - जैव-ईंधन स्कीम" - 500.00 लाख रु.;	(b) "Waste Land Development - Other Expenditure - Bio-Fuels Scheme" - Rs.500.00 lakhs;		
(ग) "भूमि सुधार - अन्य व्यय" -	(c) "Land Reforms - Other Expenditure" -		
(i) "राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण और भू-अभिलेखों का अद्यतन किया जाना" - 500.00 लाख रु. और	(i) "Strengthening of Revenue Administration and Updating of Land Records" - Rs.500.00 lakhs; and		
(ii) "भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण" - 1000.00 लाख रु.।	(ii) "Computerisation of Land Records" - Rs.1000.00 lakhs.		

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of part

आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भू सुधार - अन्य अनुदान - राजस्व और भू प्रशासन का आधुनिकीकरण" - 200.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 93.42 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 93 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) मुख्य शीर्ष "2501" - "बंजर भूमि विकास" -

(क) "राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम" - 8709.23 लाख रु. का अधिक व्यय (45290.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "अन्य व्यय - जैव-ईंधन स्कीम" - 450.00 लाख रु. का अधिक व्यय (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "भू-सुधार - अन्य अनुदान - राजस्व और भू-प्रशासन का आधुनिकीकरण" - 1796.58 लाख रु. का अधिक व्यय (13000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम" -

funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3602" - "Grants for Central Plan Schemes - Land Reforms - Other Grants - Modernisation of Revenue and Land Administration" - Rs.200.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Union Territory Governments.

(II) Under one head saving of Rs.93.42 lakhs occurred constituting 93 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2501" - "Waste Land Development" -

(a) "National Waste Land Development Programme - Integrated Wastelands Development Programme" - excess of Rs.8709.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.45290.00 lakhs); and

(b) "Other Expenditure - Bio Fuels Scheme" - excess of Rs.450.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes" -

(a) "Land Reforms - Other Grants - Modernisation of Revenue and Land Administration" - excess of Rs.1796.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13000.00 lakhs); and

(b) "Waste Land Development - National Waste Land Development Programme" -

- (i) “एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम” -1937.94 लाख रु. का अधिक व्यय (10.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्रा तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ‘2552’ से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और विभिन्न राज्य सरकारों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

- (ii) “प्रौद्योगिकी विकास विस्तार और प्रशिक्षण” -200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ‘2552’ से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

- (i) “Integrated Waste Land Development Programme” – excess of Rs.1937.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of more proposals from various State Governments.

- (ii) “Technology Development Extension and Training” – excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional head for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.